

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 190/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गिरधारीराम पुत्र चिमनाराम		1. चौखाराम पुत्र नरसीगाराम
2. शेराराम पुत्र चिमनाराम		2. मूलीदेवी पत्नी पनाराम
3. केहनाराम पुत्र चिमनाराम		3. वसाराम पुत्र पुरखाराम
4. मगी चौधरी पुत्री चिमनाराम		4. जीवाराम पुत्र रामाराम
5. सोनीदेवी पत्नी चिमनाराम, निवासी कादानाडी तहसील सिणधरी, बाड़मेर		5. नैनाराम पुत्र दानाराम
		6. नारणाराम पुत्र दानाराम
		7. पुरोदेवी पत्नी दानाराम, निवासी कादानाडी, तहसील सिणधरी, बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 20.10.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा कादानाडी व पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 594/586 रकबा 15.8159 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर

पक्षकासन मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा कादानाडी व

दी. 20.10.22
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 594/586 रकबा 15.8159 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्राथीगर्ण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्राथीगर्ण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 594/586 रकबा 15.8159 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 594/586 रकबा 15.8159 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्राथीगर्ण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 594/586 रकबा 15.8159 हैक्टेयर भूमि प्राथीगर्ण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्राथीगर्ण विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदा है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्राथीगर्ण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगर्ण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगर्ण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा, प्राथीगर्ण का आवेदन पत्र स्वीकार किया मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 594/586 रकबा 15.8159 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्राथीगर्ण व विप्रार्थीगर्ण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्राथीगर्ण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


(वीरमारांम)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.10.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी